न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

सं. 156 / 2021
सीएमएस : 2021 / 340

1. बृजलाल पुत्र श्री गाजीराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:वादीगण

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. गोमती पत्नी श्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. देशराज पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. पार्वती पुत्री श्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. रजीराम पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. विद्यादेवी पुत्री श्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
8. शकुन्तला पुत्री श्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
9. अमरसिंह पुत्र श्री कालूराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
10. सुमेरसिंह पुत्र श्री कालूराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
11. महावीरप्रसाद पुत्र श्री कालूराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
12. रामेश्वरलाल पुत्र श्री कालूराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
13. विमला पुत्री सांवलाराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
14. सुमन पुत्री श्री कालूराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
15. अंकिता पुत्री श्री सुरजीतसिंह जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
16. दीनदयाल पुत्र श्री सुरजीतसिंह जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
17. भावना पुत्री श्री सुरजीत जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
18. श्राजकुमारी पत्नी श्री सुरजीतसिंह जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
19. कमला देवी पुत्री श्री सांवलाराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
20. रमेश कुमार पुत्र श्री सांवलाराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

21. विमला देवी पुत्री श्री सांवलाराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
22. सरोज पुत्री श्री सांवलाराम जाति जाट साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
23. सावित्री देवी पत्नी श्री रघुवीर जाति जाट साकिन साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
24. दयाशंकर पुत्र श्री रघुवीर जाति जाट साकिन साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
25. मुकेश पुत्र श्री रघुवीर जाति जाट साकिन साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
26. शकीला पुत्री श्री रघुवीर जाति जाट साकिन साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
27. पूजा पुत्री श्री रघुवीर जाति जाट साकिन साकिन 71 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
28. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—53 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 05.08.2021

उपस्थित अधिवक्तागण

1. **श्री जगदीश जोशी अधि. वादीगण**
2. **श्री महेन्द्रकुमार चावरियां अधि. प्रति. सं.** 2 ता 8—10 ता 12—14—24 ता 27
3. **एकपक्षीय कार्यवाही प्रति. सं. 1—9—15 ता 23**

—: निर्णय :— दिनांक :— 27.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी एवं प्रतिवादीगण चक 68 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 20 पं.नं. 245/344 कि.नं. 11—12—19 ता 22 में 1.658 है. नहरी व मु.नं. 19 पं.नं. 246/344 कि.नं. 1 ता 25 में 6.049 है. नहरी भूमि मय खाला खातेदारी सांझा खाता में धारण करते है, जिसमें वादी का 1/4 भाग है, इस खाते में से मनीदेवी एवं मनीदेवी की पुत्री तारों देवी का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए इनके वारिसान के पक्षकार बनाया गया है मनीदेवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 19—20—21—22 है, इसके अलावा मनीदेवी की पुत्री तारोदेवी के देहान्त हो जाने के बाद उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 24 ता 27 है, पक्षकारान ने अपनी काश्त की सहुलियत के लिए भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है और इस बाहमी बंटवारा में वादी के भाग में मु.नं. 20 का समस्त रकबा 1.680 है, मु.नं. 19 के कि.नं. 5 सालम एवं कि.नं. 6 में 7 बिस्वा कुल 1.881 है. नहरी भूमि आई हुई है, जिसको वादी खुद काश्त कर रहा है, वादी ने अपने कब्जे की भूमि को कराहा आदि डालकर सुधारा व उन्नत व बनाया हुआ है, इसी प्रकार अन्य खातेदारान ने भी अपने—अपने हिस्सा की भूमि पर कब्जा बाहमी बंटवारे के हिसाब से अलग—अलग कर रखा है सभी खातेदार एक ही परिवार के सदस्य है, भाईयों में तो आपस में सम्बन्ध ठीक रहे, परन्तु अब आगे अगली पीढी आ गई है, तथा अलग—अलग स्वभाव होने के कारण विवाद होने की सम्भावना बढ़ती रहेगी। इस वर्ष सावनी की बिजाई के मौके पर थोडा विवाद भी हुआ। परन्तु गांव के लोगों ने आस—पडौस ने समझा बुझाकर मामला शान्त करवा दिया, परन्तु यह विवाद फिर भी हो सकता है, और कोई भी खातेदार वादी को अपने रकबा से बेदखल कर सकता है। इसी सम्भावना से डरते हुए वादी ने दिनांक 25.07.2021 को अपने सह खातेदारों में से रामेशकुमार पुत्र सांवलाराम से निवेदन किया कि हम आपस में खाते अलग—अलग करवा लेते है, इस पर लगभग सभी खातेदारों ने स्वीकृति दे दी, परन्तु कुछ व्यक्ति इस बात से सहमत नही हो रहे है इसलिए भविष्य में कब्जा काश्त में विवाद होगा। इसी कारण वादी को न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है। बस यही तारीख बिनाये दावा है, बिनाये मुखासमत वादी को हिस्सा प्राप्त होने के दिन से ही है। वादी सांझा खाता को बाहमी बंटवारे के अनुसार अलग करवाकर काश्त करने का अधिकारी है। राजस्थान राज्य भू स्वामी है, इसलिए राजस्थान राज्य को पक्षकार बनाया गया है। पक्षकारान श्रीमान् न्यायालय के अधिकारिकता क्षेत्र के निवासी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

इसलिए इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अतः वाद वादी प्रस्तुत करके निवेदन है कि वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिग्री फरमाया जावे। वादी को बाहमी बंटवारा व कब्जा के अनुसार चक 68 एनपी के खाता सं. 48 में 1/4 भाग तद्नुसार मु.नं. 20 का समस्त रकबा 1.680 है. व मु.नं. 19 में कि.नं. 6 तें 7 बिस्वा कुल 1.881 है. नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जावे इस प्रकार बंटवारा किया जावे। विधिक बंटवारा व खाता विभाजन की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1–9–15 ता 23 की तामिल विधिक रूप से होने के उपरान्त भी न्यायालय में हाजिर नहीं। न्यायालय द्वारा प्रति. सं. 1–9–15 ता 23 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी ने प्रति. सं. 2 ता 8–10 ता 12–14–24 ता 27 की तरफ से श्री महेन्द्रकुमार चावरियां अधिवक्ता नें वकालतनामा मय इकबाली जवाब उल जवाब पेश किया। अंकित किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है ते हमें किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है जो इकबाली जवाब शामिल मिसल किया गया।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि वाके चक 68 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 20 पं.नं. 245/344 व मु.नं. 19 पं.नं. 246/344 की कुल 7.820 है. नहरी भूमि मय खाला वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदरी है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान वादी का अलग किया जावे। तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/2024/383 दिनांक 29.04.2024 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांकः भू–अ./2024/2222 दिनांक 23.05.2024 द्वारा वाके चक 68 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 20 पं.नं. 245/344 व मु.नं. 19 पं.नं. 246/344 की कुल 7.820 है. नहरी भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। विभाजन प्रस्ताव में निम्नानुसार अंकित किया है:–

1. बृजलाल पुत्र श्री गाजीराम जाति जाट साकिन 71 एनपी वाके चक 68 एनपी के पं.नं. 245/344 मु.नं. 20 के कि.नं. 10/0.215, 11/0.253, 12/0.228, 19/0.253, 21/0.228, 22/0.228, कुल 1.658 है. नहरी व पं.नं. 246/344 मु.नं. 19 के कि.नं. 5/0.202 नहरी व 0.013 है. खाला, 6/0.082 है कुल 0.297है. नहरी भूमि मय खाला दोनो खातों का कुल महायोग 1.955 है. नहरी मय खाला भूमि।
2. शेष अंकिता पुत्री सरजीसिंह 411/6256 वगैरहा मु.नं. 19 में 5.765 है. नहरी व 0.100 है. खाला कुल 5.765 है. मय खाला नहरी भूमि।

4. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी [illegible]ारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसी[illegible]हनगर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहा[illegible] प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र [illegible] जाकर [illegible] किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

कार्यालय पंचायत समिति, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

...ों के मोबाईल नम्बरों की सूची

दिनांक :- 02.01.2024

प्रकरण संख्या 156/2021 अनवान
बृजलाल बनाम इन्द्राज आदि
निर्णय दिनांक 27.08.2024

–:आदेश:–

अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती कि चक 68 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 20 पं.नं. 245/344 व मु.नं. 19 पं.नं. 6/344 की कुल 7.820 है. नहरी भूमि में से वादी के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात भाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

1. बृजलाल पुत्र श्री गाजीराम जाति जाट साकिन 71 एनपी वाके चक 68 एनपी के पं.नं. 245/344 मु.नं. 20 के कि.नं. 10/0.215, 11/0.253, 12/0.228, 19/0.253, 20/0.253, 21/0.228, 22/0.228, कुल 1.658 है. नहरी व पं.नं. 246/344 मु.नं. 19 के कि.नं. 5/0.202 नहरी व 0.013 है. खाला, 6/0.082 है कुल 0.297है. नहरी भूमि मय खाला दोनो खातों का कुल महायोग 1.955 है. नहरी मय खाला भूमि।
2. शेष अंकिता पुत्री सरजीसिंह 411/6256 वगैरहा मु.नं. 19 में 5.765 है. नहरी व 0.100 है. खाला कुल 5.765 है. मय खाला नहरी भूमि।

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक <u>27.08.2024</u> को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner